

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**संकल्प**

सं0सं0 :-2 / अ0प्र0-1-148 / 2017

/ पटना, दिनांक :-

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री अर्जुन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2 द्वारा इचामारी से हुबलीडांगी पथ में कंकई नदी पर पुल निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि श्री अर्जुन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता-4 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री शिव प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री अर्जुन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2 सम्पति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

४  
21/5/2012 .  
(संजय दूबे)  
अपर सचिव

ज्ञापांक :-2 / अ0प्र0-1-148 / 2017

/ पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।

४  
21/5/2012 .  
अपर सचिव

ज्ञापांक :-2 / अ०प्र०-१-१४८ / २०१७

/ पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री शिव प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-४ का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री अर्जुन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-२ सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त।

४  
21/५/२०२०  
अपर सचिव

ज्ञापांक :-2 / अ०प्र०-१-१४८ / २०१७

१६७

/ पटना, दिनांक :- २८/५/२०२०

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-२/प्रशाखा पदाधिकारी-६, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आईटी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५  
21/५/२०२०  
अपर सचिव

५५४